

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 533

दिनांक 25.06.2019/4 आषाढ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों में महिलाओं से यौन दुर्व्यवहार

†533. डॉ० उमेश जी० जाधवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में अधिकारियों द्वारा जेलों में बंद महिला कैदियों को सेक्स के लिए मजबूर किए जाने के दावों के मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस तरह के आरोपों के मद्देनजर आवश्यक जांच का निर्णय लिया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): हाल में गृह मंत्रालय को ऐसी किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ): उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

\*\*\*\*\*